न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

प्रा0पत्र संख्या /2016

रामगोपाल वगैरह बनाम तहसीलदार उनियारा

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम के तामील
28.3.2016	पत्रावली पेश हुयी । वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 135/2015 ब उनवान रामगोपाल बनाम तहसीलदार उनियारा दिनांक 14.10.2015 को निर्णय किया गया है, जिसमे प्रार्थीगण को ग्राम फुलेता का निवासी बताया गया है, जबकि प्रार्थीगण ग्राम भोजपुरा के निवासी है। अतः निर्णय मे ग्राम फुलेता के स्थान पर ग्राम भोजपुरा अंकित कर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी वकील को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील के द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमे प्रार्थीगण को ग्राम भोजपुरा का निवासी होना अंकित किया गया है, परन्तु प्रार्थीगण के वकील ने अधियाचना मे प्रार्थीगण को फुलेता का निवासी अंकित कर दिया गया, जिससे निर्णय मे प्रार्थीगण का निवास स्थान ग्राम भोजपुरा के स्थान पर ग्राम फूलेता दर्ज हुआ है। उक्त वर्णित गलती लेखनीय त्रूटी आकस्मिक भूल व लोप के कारण हुयी है। जिसे प्रा0 पत्र मे संशोधित किया जाकर संशोधित निर्णय जारी किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र एवं निर्णय मे प्रार्थीगण का निवास स्थान ग्राम फुलेता के स्थान पर लाल स्याही से ग्राम भोजपुरा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक	

Scanned by CamScanner